मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान

''**मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान**''
पूर्णतः राज्य मद से संचालित

योजना का उद्देश्य :–

- वर्ष 2022–23 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को **अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार** ।

- **100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार :–**
- बारां जिले कें ''**सहरिया**'' एवं ''**खैरूआ**''
- उदयपुर जिले के ''**कथौडी**'' जनजाति परिवारों
- ''**विशेष योग्यजन**'' श्रमिकों को ।

अनुमत कार्य

सामुदायिक कार्य :–

1. विद्यालय भवन , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अन्य राजकीय भवन
2. चारदीवारी / चारागाह फेन्सिंग
3. स्टॉर्म/ग्रे–वाटर नालों की सफाई
4. नहरों एवं नालियों में डी–सिल्टिंग
5. पंचायत/पंचायत समिति परिसर में सीसी ब्लॉक/खरंजा
6. सडक के किनारे झाडियों की कटिंग एवं पटरी निर्माण
7. पानी की टंकी (जी.एल.आर)
8. गौशालाओं शेड निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण व पशु खेली
9. पोषण वाटिका , चबूतरा निर्माण
10. महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में निर्मित ऐसी सार्वजनिक परिसम्पत्तियां, जो कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत अनुमत नहीं हैं, के मरम्मत एवं रखरखाव
11. हेल्पर–हैंडपम्प मरम्मत हेतु।

अनुमत कार्य

– : व्यक्तिगत लाभ के कार्य :–

- आवासीय क्षेत्र में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण।
- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के अनुमत कार्यों में लघु एंव सीमांत कृषकों से सम्बन्धित कार्य।

राशि का प्रावधान

- योजनान्तर्गत श्रम मद की राशि ''**मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान से देय**'' होगी।

- इस योजना से सामग्री मद की राशि देय नहीं होगी।

- योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में सामग्री मद की राशि (मेट, कारीगर सहित) अन्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं, निजी आय एवं जनसहयोग इत्यादि से कर्न्वजेन्स कर सम्बन्धित योजना के निर्देशों अनुसार देय होगी।

वार्षिक कार्य योजना (2022–23) तैयार करने हेतु समय सीमा

क्र.सं.	कार्यवाही	समयावधि
1.	अनुमत कार्यों का चयन एंव ग्राम सभा में अनुमोदन।	2.10.2022
2.	ग्राम पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य योजना को ब्लॉक में प्रस्तुत करना।	10.10.2022
3.	ब्लॉक स्तर पर समेकित वार्षिक योजना का पंचायत समिति साधारण सभा में अनुमोदन।	14.10.2022
4.	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य योजना को जिला स्तर पर प्रस्तुतीकरण।	17.10.2022
5.	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला परिषद में वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत किया जाना व जिला परिषद की साधारण सभा से अनुमोदन।	21.10.2022
6.	वार्षिक कार्य योजना की एन्ट्री ई–पंचायत पर किया जाना।	28.10.2022

वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बिन्दु :–

- मनरेगा योजना में विगत वर्षों में सर्वाधिक 100 दिवस का रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या के आधार पर योजना में संभावित रोजगार सृजन के आकलन को दोगुना करते हुए कार्यों के प्रस्ताव तैयार किये जाये
- कार्यों के चयन एवं महत्व पर ग्राम सभा में चर्चा
- **सामग्री सम्बन्धित राशि का भुगतान अन्य योजनाओं के कन्वर्जेन्स से देय होगें** अतः कर्न्वजेन्स के प्रस्ताव ग्राम सभा में विचारार्थ रखकर वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जावें।

वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बिन्दु –

- निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायतवार, पंचायत समितिवार एवं जिलेवार बुकलेट तैयार कर अनुमोदन कराना
- ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण अनुमोदित प्रस्ताव ई–पंचायत पर अपलोड कराया जावे

वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बिन्दु –

- वार्षिक कार्य योजना ई–पंचायत पोर्टल पर अपलोड वार्षिक कार्य योजना अनुसार कार्यों की स्वीकृतियां एस.ओ.पी. में अंकित प्रावधानानुसार जारी की जावेगी
- जिला मुख्यालय पर उक्त योजना का संधारण/संचालन/मॉनिटरिंग महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, जिला परिषद द्वारा किया जावेगा।

योजना क्रियान्वयन हेतु निर्देश

- जॉबकार्ड हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत में आवेदन
- आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की छाया प्रतियां संलग्न होगी –

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना जॉबकार्ड।
2. जनआधार कार्ड।
3. परिवार के व्यस्क सदस्यों के दो–दो पासपोर्ट साईज फोटो।
4. दिव्यांगजन प्रमाण पत्र। (यदि पात्र हो तो)
5. सहरिया, खैरूआ एवं कथौडी जनजाति प्रमाण पत्र।

योजना क्रियान्वयन हेतु निर्देश

- ग्राम विकास अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्र की पात्रता की जांच उपरांत योजना के नवीन ई–पंचायत पोर्टल अन्तर्गत **CM-REGSR** मॉडयूल में पंजीकरण की कार्यवाही करेंगे।
- पंजीकरण उपरांत ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जनआधार संख्या आधारित **CM-REGSR** जॉबकार्ड (नम्बर सॉफ्टवेयर से स्वतः जनरेट होगा) श्रमिक परिवार को जारी किया जायेगा।
- अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में से श्रमिक नियोजन हेतु पर्याप्त संख्या/राशि के कार्य समय पर स्वीकृत करवाया जाना होगा
- कार्यों की स्वीकृति विभागीय शिडयूल ऑफ पॉवर्स में प्रदत्त सक्षम स्तर के अधिकारियों के स्तर पर ई–पंचायत पोर्टल से जारी की जावेगी।
- योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों पर प्रति श्रमिक द्वारा किये जाने वाला टास्क महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले टास्क के अनुरूप होगा।

योजना क्रियान्वयन हेतु निर्देश

- मनरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा रोजगार की मांग किये जाने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त कार्य का आवंटन करते हुए मस्टररोल जारी किये जाने हेतु विकास अधिकारी (BDO) को ई–साईन से ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा।

- ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित सूची में अंकित श्रमिकों को उक्तानुसार आंवटित कार्य पर नियोजन हेतु विकास अधिकारी (BDO) द्वारा मस्टररोल जारी किये जायेंगे।

- बीस श्रमिक संख्या तक के कार्यों पर हाजरी का अंकन ग्राम विकास अधिकारी/कनिष्ठ सहायक/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा किया जावेगा। बीस से अधिक श्रमिक नियोजन होने की स्थिति में हाजरी का अंकन मेट द्वारा किया जायेगा।

योजना क्रियान्वयन हेतु निर्देश

- प्रत्येक गुरूवार को साप्ताहिक अवकाश रखा जावेगा।

- योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अधिसूचित दरों के अनुसार किया जावेगा। मेट एवं कारीगर का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रभावी दरों के अनुरूप किया जावेगा।

- पखवाडा समाप्ति के उपरांत कार्य का माप मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतान की समय सीमा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अनुरूप 15 दिवस की होगी। मजदूरी भुगतान में विलम्ब की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकास अधिकारी (BDO) की होगी।

योजना क्रियान्वयन हेतु निर्देश

- कार्य का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा करने के पश्चात भुगतान प्रक्रिया हेतु मस्टर रोल विकास अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- पंचायत समिति के सहायक लेखाधिकारी/लेखासहायक द्वारा मस्टर रोल की जांच कर श्रमिक की हाजरी एवं भुगतान योग्य राशि का अंकन ई–पंचायत पोर्टल पर **CM-REGSR** मॉडयूल में करते हुए भुगतान हेतु पेमेंट वाउचर जनरेट किया जायेगा।
- विकास अधिकारी द्वारा पेमेन्ट वाउचर का ई–साइन के माध्यम से सत्यापन उपरान्त राज्य स्तरीय बैंक खाते से ऑन–लाइन भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी।
- श्रमिकों के भुगतान के पश्चात भुगतान शुदा मस्टर रोल का संधारण ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित कार्य की कार्य पत्रावली में किया जायेगा।

योजना क्रियान्वयन हेतु निर्देश

- कार्यों की प्रगति, श्रम एवं सामग्री व्यय आदि की सूचना ई–पंचायत पोर्टल पर **CM-REGSR** योजना में दर्ज की जावेगी।
- कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं के कार्यों हेतु जारी शिडयूल ऑफ पॉवर्स में वर्णित शक्तियों के अनुरूप सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की जावेगी।
- योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा। जिला कलक्टर इस योजना हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद इस योजना हेतु अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे।